



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार- 249404

संख्या: 39/78/03/डी0आर0(व्यवस्था0)/सेवा-1/2022-2023

दिनांक: 14 मई, 2024

विस्तृत विज्ञप्ति

व्यवस्थाधिकारी (राज्य सम्पत्ति विभाग) परीक्षा-2023

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि व्यवस्थाधिकारी (राज्य सम्पत्ति विभाग) परीक्षा-2023 के अंतर्गत राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी के 07 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: A-1/DR/(M.O)/S-1/2023, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के सापेक्ष दिनांक 03 मार्च, 2024 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा का परीक्षा परिणाम, विज्ञप्ति संख्या-47/07/व्य0(रा.स.वि.)/गोपन-04/2024-25, दिनांक 13 मई, 2024 द्वारा घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा परिणाम के क्रम में अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 22 मई, 2024 को परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में किया जाना निर्धारित है।

02. उक्त परीक्षा के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 एवं मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों के आलोक में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को किया जायेगा। निर्धारित तिथि (22 मई, 2024) को अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।

03. अभिलेख सत्यापन (Document Verification) अनुक्रमांकवार निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है -

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक 22.05.2024 पूर्वाह्न 9:30 बजे

300010	300014	300034	300041	300050	300067	300084	300086
300145	300176	300209	300213	300217	300226	300236	300263
300290	300360	300390	300409	300467	300476	300495	300508
300531	300541	300544	300557	TOTAL 28			

नोट – अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन का कार्य **परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** में प्रातः 9:30 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु प्रातः 9:00 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

04. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। इस विज्ञप्ति के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, चैकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे—

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form),
2. विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)
3. प्रमाणीकरण-पत्रक (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)
4. देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)।
5. चैकलिस्ट (Check List)
6. नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा।
7. सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली किसी कैंटीन में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र। **(यदि लागू हो)**
8. पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्र संख्या-02, 04 के फोटो के अतिरिक्त)

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।